

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
SOUTH WESTERN DIVISION NO.5**

W.O. No. 01/EE/SWD-5/DDA/08-09

Dated: 22.4.08

WORK ORDER

Name of work:- Up-gradation of various urban villages under CC-15/SEZ/DDA
SH:- Total station survey of village Tughlakabad.
Estimated Cost: Rs.1,62,000/-

MEMORANDUM OF AGREEMENT made on 22nd day of April, 2008 between M/s. ABM Engg. & Surveyors, B-136, Vasant Apt. Delhi Road, Gurgaon-1222001 (Hr.) hereinafter called "the contractor" which expression where the context so admits shall include his heirs, executors, administrators and assigns of the one part AND the DDA acting through the Sub-Divisional/Divisional Officer hereinafter call "the DDA" (which expression where the context so admits shall include his successors and assigns) of the other part.

इसके अन्तर्गत नीचे लिखे अनुसार कारर किया जाता है :

WHEREBY IT IS AGREED AS FOLLOWS:

1. इसके साथ लगी हुई अनुसूची-1 में लिखी हुई दरों पर निकाली हुई रकम, जो इसके साथ लगे विनिर्देशों और विशेष अनुदेशों में लिखे हुए कार्य (जिसे अब इसके बाद कार्य कहेंगे) ठेकेदार पूरा करने के महीने के अन्दर राष्ट्रपति द्वारा ठेकेदार को दी जाएगी, प्राप्त करने के लिए ठेकेदार कार्य को अत्यन्त तत्परता, सावधानी और दायर्यतापूर्वक कुशलता से की सत्तरी के अनुसार करेगा और इसकी प्रस्तुति की तारीख से महीनों के अन्दर उसे पूरा करेगा।

1. That in consideration of a sum to be calculated at rates set forth in Schedule I hereto annexed and to be paid to the contractor by the President within months of the completion by the contractor of the works set forth in the specifications and special instructions hereto attached (and hereinafter called the "Works") the said contractor shall execute the works with great promptness, care and accuracy in a workmen like manner to the satisfaction of E.T. Chong and shall complete the same within 10 Days months from the date of these presents.

2. उप-मण्डल/मण्डल अधिकारी (जिसे इसके बाद "उप-मण्डल/मण्डल अधिकारी" कहेंगे) समय-समय पर ठेकेदार को इसके साथ लगी अनुसूची-2 में लिखी हुई सामग्री देगा और इस प्रकार दी हुई सामग्री की कीमत उस रकम से मुजरा कर लेगा या काट लेगा जो इस कारर के अन्तर्गत या अन्यथा ठेकेदार को उस समय देय हो या उसके बाद देय हो जाए; शर्त यह भी है कि उप-मण्डल/मण्डल अधिकारी कार्य पूरा होने के पहले या बाद या कारर पहले ही समाप्त हो जाने पर ठेकेदार से वह अधिशेष सामग्री वापस लेने को बाध्य न होगा जो ठेकेदार ने शुरू में मंगाई हो या भारत सरकार के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (जिसे इसके बाद "विभाग" कहेंगे) द्वारा उसे जारी की गई हो। किंतु उप-मण्डल/मण्डल अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह चाहे तो पूर्वोक्त सामग्री, जो कार्य की आवश्यकता से अधिक है, स्थानीय प्रचलित बाजार-दरों पर खरीद ले; इसमें शर्त यह भी है कि विभाग द्वारा दी गई सामग्री के लिए यह कीमत किसी भी हालत में उससे अधिक न होगी जो विभाग ने आरम्भ में ठेकेदार से वसूल की है। ठेकेदार कोई भी सामग्री जो उसे कार्य में इस्तेमाल करने के लिए दी गई है, उप-मण्डल/मण्डल अधिकारी की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना कार्यस्थल से न हटाएगा।

2. That the Sub-Divisional/Divisional Officer (hereinafter called "the Sub-Divisional/Divisional Officer") shall from time to time supply the contractor with materials as shown in Schedule II attached hereto and the value of the materials so supplied shall be set off or deducted from any sums then due or thereafter to become due to the contractor under this agreement or otherwise provided that the Sub-Divisional/Divisional Officer will not be bound to take back from the contractor either before or after the completion of the works or on an earlier termination of this agreement surplus materials which were originally procured by the contractor or were issued to him by the Central Public Works Department of the Government of India (hereinafter called "the Department") but Sub-Divisional /Divisional Officer shall have the option of purchasing and of the aforesaid materials surplus to the requirements of the works at the local prevailing market rates, provided further that in the case of materials supplied by the Department the price shall not in any case exceed that originally charged by the Department. The contractor shall not removed from the site of the works any of the materials supplied to him for use on the works without previous sanction obtained in writing from the Sub-Divisional/Divisional Officer.

3. यदि राष्ट्रपति कार्य के निष्पादन के दौरान ठेकेदार को कोई आंतरिक भुगतान करेंगे तो वह राशि ऐसी किसी रकम या रकमों से, जो ठेकेदार को पूर्वोक्त कार्य पूरा हो जाने पर शोध्य हो जाए, काटी जा सकेगी। ऐसे सभी अंतरिम भुगतान के बिलों से उनकी कुल कीमत का 10 प्रतिशत काट लिया जाएगा और वह कटौती की राशि ठेकेदार को जब कार्य पूरा होने पर अंतिम भुगतान किया जाएगा, तब वापस कर दी जाएगी।

3. That if the President shall made to the contractor any payment on account during the execution of the works the same will be, liable to be deducted from such sum or sums as may be payable to the contractor on completion of the works as aforesaid. A deduction at the rate of ten per cent on their total value will be made from all such bills of payment on account, which deductions will be refunded to the contractor when the final payment is made on the completion of the works.

4. ठेकेदार को देय संदाय, यदि वह चाहे तो, सीधे उसको किए जाने के बजाए उसके बैंक को किए जा सकते हैं परन्तु यह तब जब कि ठेकेदार भारसाधक अधिकारी को (1) संदाय प्राप्त करने के लिए बैंक को प्राधिकार प्रदान करने वाले मुख्तारनामे जैसी वैध रूप से मान्य दस्तावेज के रूप में प्राधिकार दे, और (2) उस हिसाब की शुद्धता के बारे में अपनी स्वीकृति दे जिसमें सरकार द्वारा उसको शोध्य राशि बताई गई है या भारसाधक अधिकारी द्वारा हिसाब या दावे के, बैंक को संदाय करके निपटाए जाने से पहले सरकार को प्रस्तुत किए गए बिल या अन्य दावे पर अपने हस्ताक्षर दिखाए। ऐसे बैंक द्वारा दी गई रसीद संदाय के लिए पूर्ण और पर्याप्त उन्मोचन होगी किन्तु ठेकेदार को, जहां तब हो, सम्यक्तः रसीदयुक्त और उन्मोचित बिल अपने बैंकरो की मार्फत प्रस्तुत करने चाहिए।

4. That payments due to the contractor may, if so desired by him, be made to his bank instead of direct to him, provided that the contractor furnishes to the Sub-Divisional/Divisional Officer (1) an authorization in the form of a legally valid document such as a power of attorney conferring authority on the bank to receive payment, and (2) his own acceptance of the correctness of the account made out as being due to him by Government or his signature in token of receipt on the bill or other claim preferred against the Department, before settlement by the Sub-Divisional/Divisional Officer of the account or claim by payment to the bank. While the receipt given by such bank shall constitute a full and sufficient discharge for the payment the contractor should, wherever possible, present his bills duly receipted and discharged through his bankers

इसने, अर्थात् कोई बात राष्ट्रपति के संबंध में बैंक के पक्ष में कोई अधिकार या सत्ता सुनिश्चित नहीं करेगी।

3. अटार्नर जनरल से कम आय का कोई श्रमिक कार्य पर नियोजित नहीं किया जाएगा।

6. उचित मजदूरी छंद - (क) ठेकेदार काम पर अपने द्वारा नियोजित श्रमिकों को उचित मजदूरी से कम का संदाय नहीं करेगा।

मजदूरी -

(क) "उचित मजदूरी" से कालानुपाती या मानानुपाती काम के लिए, काम के लिए निविदाएं आमंत्रित करते समय अभिव्यक्त मजदूरी और यदि ऐसी मजदूरी ऐसे अभिव्यक्त नहीं की गई हो तो उस जिले के, जिसमें वह काम किया गया है, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विहित मजदूरी अभिप्रेत है।

(ख) ठेकेदार, किसी ठेके में तत्प्रतिभूत उपबंधों के होते हुए भी, कार्य पर अत्यल्प रूप से नियोजित श्रमिकों को, जिनके अंतर्गत ऐसे श्रमिक भी आते हैं जो उक्त कार्य के संबंध में उसके उप-ठेकेदार द्वारा नियोजित किए गए हों, उचित मजदूरी ऐसे दिलावाएगा जैसी श्रमिक सीधे उसके द्वारा नियोजित किए गए हों।

(ग) इस क़ार में ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले कार्य के निष्पादन के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियोजित सभी श्रमिकों के बारे में ठेकेदार मजदूरी के संदाय, मजदूरी की कालावधि, मजदूरी में से कटौतियों को, असंतुष्ट मजदूरियों और अप्रसन्न कटौतियों की वसूली, मजदूरी बहियों या मजदूरी सिल्लों को बनाए रखने, मजदूरी के मापमान और निरीक्षण के अन्य नियंत्रणों के प्रकाशन, कालिक विवरणों के निरीक्षण और प्रस्तुत किए जाने लया समान प्रकृति के अन्य सभी विषयों के संबंध में समय समय पर सरकार द्वारा संकलित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार के श्रमिक विनियमों का अनुपालन करेगा या करावाएगा।

(घ) संबंधित कार्यालयक इंजीनियर या उपमंडल अधिकारी को, ठेकेदार की शोधन से, कर्मचारियों के फायदे के लिए ठेके की शर्तों की पूर्ति न करने, मजदूरी का संदाय न करने, उसकी या उनकी मजदूरी में से की गई कटौतियों, जो ठेके के उनके नियंत्रणों द्वारा न्यायसंगत न हों, या विनियमों का पालन न करने के कारण कर्मकार या कर्मकारों द्वारा उठाई गई हानि की पूर्ति के लिए अशेषित या प्राकलित किसी राशि की कटौती करने का अधिकार होगा।

(च) भारत सरकार के संबंध में, ठेकेदार, अपने उप-ठेकेदारों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के अपने दावे के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पूर्वोक्त विनियमों के अधीन और उनके अनुपालन में किए जाने वाले सभी संदायों के लिए प्राथमिक रूप से दायी होगा।

(ज) पूर्वोक्त विनियम इस ठेके के भाग रूप समझे जाएंगे और उनका भंग इस ठेके का भंग समझा जाएगा।

6.32. क़ार में ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले काम को करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में, ठेकेदार समय-समय पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विहित सुरक्षा-संहिता के अनुरूप अपने खर्च पर सुरक्षा के उपबंध की व्यवस्था करेगा और वह उनके संबंध में सभी सुविधाओं की व्यवस्था अपने खर्च पर करेगा। यदि ठेकेदार पचासपुस्तक इंतजाम करने और आवश्यक सुविधाओं का उपबंध करने में असफल रहेगा तो वह हर व्यक्तिगत रूप से 50 रूपए की क्षति का संदाय करने के लिए दायी होगा और इसके अतिरिक्त भारतापक इंजीनियर उपर्युक्त इंतजाम करने और सुविधाओं का उपबंध करने के लिए और इस संबंध में किए गए खर्च को ठेकेदार से वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

के. ए. वि. सुरक्षा संहिता - (i) कर्मकारों के लिए, ऐसी छोटी कालावधि वाले कार्यों का छोड़कर जिनको सीढ़ियों से निरापद रूप से किया जा सकता हो, उन सभी कार्यों के लिए जिनको जमीन से या ठोस-निर्माण से निरापद रूप से नहीं किया जा सकता हो, पथोचित पाट का उपबंध करना चाहिए। जब सीढ़ी उपयोग में लाई जाए तो एक अतिरिक्त श्रमिक सीढ़ी को पकड़ने के लिए नियुक्त किया जाएगा और यदि सीढ़ी सामग्री के भारों के लिए भी उपयोग में लाई जाए तो सीढ़ी पर पथोचित पापदानों और हाथ के लिए सहायों की व्यवस्था होगी और सीढ़ी की आनति 1/4 (1/4 उर्ध्व और 1/4 क्षैतिज) के अनुपात से अधिक बालू न होगी।

(ii) भूमि या पर्व से 3.6 मीटर (12 फुट) से अधिक ऊंचे पाड़ या मंच पर जो उर्ध्व आधार से झूलता हुआ हो, स्थिर आधार से खड़ा किया गया हो, समुचित रूप से संबद्ध वोल्टेज, कसी हुई और अन्यथा मजबूती से बंधी हुई बचाव रोक होगी

2

Nothing herein contained shall operate to create in favour of the bank any rights or equities the President.

5. That no labourer below the age of eighteen years shall be employed on the Works.

6. Fair Wage Clause—(a) The contractor shall pay not less than fair wage to labourers engaged by him on the works.

Explanation.—

(a) "Fair wage" means wage whether for time or piece work notified at the time of inviting tenders for the work and where such wages have not been so notified, the wages prescribed by the Central Public Works Department for the district in which the work is done.

(b) The contractor shall, notwithstanding the provisions of any contract to the contrary, cause to be paid a fair wage to labourers indirectly engaged on the work, including any labour engaged by his sub-contractor in connection with the said work, as if the labourers had been immediately employed by him.

(c) In respect of all labour directly or indirectly employed in the works for the performance of the contractor's part of this agreement the contractor shall comply with or cause to be complied with the Central Public Works Department Contractors' Labour Regulations made by Government from time to time in regard to payment of wages, wage period, deductions from wages, recovery of wages not paid and deductions unauthorisedly made, maintenance of wage register, wage cards, publication of scale of wages and other terms of employment, inspection and submission of periodical returns and all other matters of like nature.

(d) The Executive Engineer or Sub-Divisional Officer concerned shall have the right to deduct from the money due to the contractor any sum required or estimated to be required for making good the loss suffered by a worker or workers by reason of non-fulfilment of the conditions of the contract for the benefit of the workers, no payment of wages or of deductions made from his or their wages, which are not justified by their terms of the contract or non-observance of the Regulations.

(e) Vis-a-Vis the Central Government the contractor shall be primarily liable for all payments to be made under and for the observance of the Regulations aforesaid without prejudice to his right to claim indemnity from his subcontractors.

(f) The regulations aforesaid shall be deemed to be a part of this contract and any breach thereof shall be deemed to be a breach of this contract.

6.33. In respect of all labour directly or indirectly employed in the work for the performance of the contractor's part of this agreement, the contractor shall at his own expense arrange for the safety provision as per C.P.W.D. safety code framed from time to time and shall at his own expense provide for all facilities in connection therewith. In case the contractor fails to make arrangement and provide necessary facilities as aforesaid he shall be liable to pay penalty of Rs. 50 for each default and in addition the Engineer-in-charge shall be at liberty to make arrangement and provide facilities as aforesaid and recover the cost incurred in that behalf from the contractor.

C.P.W.D. SAFETY CODE—(i) Suitable scaffolds should be provided for workmen for all works that cannot safely be done from the ground, or from solid construction except such short period work as can be done safely from ladders, when a ladder is used an extra mazzdoor shall be engaged for holding the ladder and if the ladder is used for carrying materials as well, suitable footholds and handholds shall be provided on the ladder and the ladder shall be given an inclination not steeper than 1/4 to 1 (1/4 horizontal and 1 vertical).

(ii) Scaffolding or staging more than 3.6 m (12) above the ground or floor swung or suspended from an overhead support or erected with stationary support shall have guard rail properly attached, bolted braced and otherwise secured at least 90 cm. (3 feet) high above floor or platform.

जो ऐसे पाड़ या मंच के फर्श या प्लेटफार्म से कम से कम 90 सेमी (3 फुट) ऊंची होगी और उसके बाहर सिरों पर संपूर्ण लम्बाई पर लगी होगी और जिसमें ऐसे होंगे जो सामग्री के परिधान के लिए आवश्यक हों, ऐसे पाड़ या मंच को ऐसे बांधा जाएगा कि वह भवन या संरचना से झूले नहीं ।

(iii) कार्य प्लेटफार्मों, गलियारों और जीनों को ऐसे सन्निहित किया जाना चाहिए कि उन पर अनावश्यक अस्मान रूप से झोल न पड़े और यदि प्लेटफार्म, गलियारा या जीना, भूमि या फर्श स्तर से 3.6 मीटर (12 फुट) से अधिक ऊंचा हो तो उसमें तख्ते पासपास लगे होने चाहिए, उसकी पर्याप्त चौड़ाई होनी चाहिए और उसको ऊपर पैरा (2) में यथावर्णित यथोचित रूप से बांधा जाना चाहिए ।

(iv) भवन या कार्यप्लेटफार्म का हर एक द्वार व्यक्तियों या सामग्री को गिरने से बचाने के लिए यथोचित बाड़ें द्वारा या जंगलें द्वारा, जिसकी न्यूनतम ऊंचाई 90सेमी (3 फुट) होगी, यथोचित रूप से धिरा होना चाहिए ।

(v) सभी कार्य प्लेटफार्मों और अन्य कार्यस्थानों तक पहुंचने के लिए निरापद साधनों का उपबंध होगा । हर सीढ़ी मजबूती से लगी होनी चाहिए । कोई भी सुवाम अकेली सीढ़ी लंबाई में 9 मीटर (30 फुट) से अधिक न होगी जबकि ठंडी वाली सीढ़ी में छड़ी, रेलों के बीच चौड़ाई, 3 मीटर (10 फुट) तक लंबी सीढ़ी में किसी भी दशा में 29 सेमी (11 1/2 इंच) से कम न होगी । अधिक लंबी सीढ़ियों में इस चौड़ाई में लंबाई के हर एक अतिरिक्त 30 सेमी (1 फुट) के लिए 6 मिमी (1/4 इंच) की वृद्धि होनी चाहिए । इकासार सीढ़ियों के मध्य जगह 30 सेमी (12 इंच) से अधिक न होगी । विद्युत उपकरण से होने वाले खतरे के निवारण के लिए यथायोग्य पूर्वावधानियां रखी जाएंगी। किसी भी कार्यस्थल पर कोई भी सामग्री इस प्रकार नहीं जमा की या रखी जाएगी कि वह किसी व्यक्ति या जनता के लिए खतरा या असुविधा उत्पन्न करे ।

जनता को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए ठेकेदार सभी आवश्यक बाड़ों और प्रकाश की व्यवस्था करेगा और उक्त पूर्वावधानियों की उपेक्षा के कारण हुई हानि के लिए किसी व्यक्तियों द्वारा विधि के अधीन लाए गए हर बाद अनुयोग या अन्य कार्यवाहियों में प्रतिरक्षा के व्ययों का भार उठाने के लिए और ऐसे किसी नुकसानों या खर्चों का संदाय करने के लिए आबंद होगा जो ऐसे किसी व्यक्तियों को ऐसे किसी बाद, अनुयोग या कार्यवाही में अधिनिमित्त किए जाएं जो, ठेकेदार की सहमति से, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दावे में समझौता करने के लिए संदत्त किया जाए ।

(vi) उत्खनन और खाई खोदना— 1.2 मीटर (4 फुट) या अधिक गहरी सभी खाइयों के लिए सभी समयों पर लंबाई के हर एक 30 मीटर (100 फुट) या उसके किसी भाग के लिए कम से कम एक सीढ़ी प्रदाय की जाएगी । सीढ़ी खाई की तली से लेकर भूमि की सतह से कम से कम 90 सेमी (3 फुट) ऊपर तक होगी । 1.5 मीटर (5 फुट) या अधिक गहरी खाइयों की दीवारें यथोचित बलान देने के लिए समतल (पक्की) होगी या उन पर काष्ठ के तख्तों को मजबूत रोक लगी होगी ताकि दीवारों के बहने का खतरा न रहे । छोटी गई सामग्री खाई के किनारों से 1.5 मीटर (5 फुट) के भीतर या खाई की गहराई के आधे के बराबर दूरी के भीतर, उन्में जो भी अधिक हो, नहीं रखी जाएगी । कटाई शीर्ष से तली तक की जाएगी । किसी भी परिस्थितियों में तलोच्छेदन या नीचे से कटाई न की जाएगी ।

(vii) ढाना-ढाने का कोई कार्य प्रारंभ करने से पूर्व और कार्य की प्रक्रिया के दौरान भी—

(क) कार्यस्थल के पार्वत्य सभी सड़के और खुले क्षेत्र या तो बंद कर दिए जाएंगे या उनमें उपयुक्त बचाव की व्यवस्था की जाएगी ।

(ख) ऐसा कोई भी विद्युत केबल या साधन जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता हो या अपरेटर द्वारा प्रयुक्त होने वाला केबल या साधन विद्युत आवेशित नहीं होगा ।

(ग) नियोजित व्यक्तियों को अग्नि या विस्फोट या बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए सभी व्यावहारिक कदम उठाए जाएंगे । भवन के किसी भी फर्श, छत या भाग को मलबे या सामग्री से इतना अतिभारित न किया जाएगा कि वह अनुरक्षित हो जाए ।

(viii) कार्यस्थल पर नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए ऐसे सभी आवश्यक वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध रखे जाने चाहिए जो भारसाधक इंजीनियर पर्याप्त समझे और उनको ऐसी हालत में अनुरक्षित रखा जाना चाहिए कि वे तुरंत उपयोग के लिए

of such scaffolding on staging and extending along the entire length of the outside and ends thereof with only such openings as may be necessary for the delivery of the materials. Such scaffolding or staging shall be so fastened as to prevent it from swaying from the building or structure.

(iii) Working platforms gangways and stairways should be so constructed that they should not sag unduly or unequally, and if the height of the platform of the gangway or the stairway is more than 3.6 m (12 feet) above ground level or floor level, they should be closely boarded, should have adequate width and should be suitably fenced, as described in (ii) above.

(iv) Every opening in the floor of a building or in a working platform be provided with suitable, means to prevent the fall of persons or falling whose minimum height shall be 90 cm.

(v) Safe means of access shall be provided to all working platforms and other working places. Every ladder shall be securely fixed. No portable single ladder shall be over 9m (30 feet) in length while the width between side rails in rung ladder shall in no case be less than 29cm (11-1/2") for ladder up to and including 3m (10 feet) at least and 6mm (1/4") for each additional foot of length. Uniform step spacing shall not exceed 3.1m (12 feet) . Adequate precautions shall be taken to prevent danger from electrical equipment. No materials on any of the sites of work shall be so stocked or placed as to cause danger or inconvenience to any person or the public .

The contractor shall also provide all necessary fencing and lights to protect the public from accident shall be bound to bear the expenses of defence of every suit, action or other proceedings at law that may be brought by any persons for injury sustained owing to neglect of the above precautions and to pay any damages and costs which may be awarded in any such suit, action or proceedings to any such persons, or which may with the consent of contractor be paid to compromise any claim by any such person.

(vi) Excavation and Trenching— All trenches 1.2m (4 feet) or more in depth, shall at all times be supplied with at least one ladder for each 30m (100 feet) in length or fraction thereof. Ladder shall be extended from bottom of the trench to at least 90cm (3 feet) above the surface of the ground. The side of trenches which are 1.5cm (5 feet) more in depth shall be stopped back to give suitable slopes, or securely held by timber bracing, so as to avoid the danger of sides from collapse. The excavated material shall not be placed within 1.5m (5 feet) of the edge of the trench or half of the depth of the trench whichever is more. Cutting shall be done from top to bottom. Under no circumstance under mining or undercutting shall be done.

(vii) Demolition— Before any demolition work is commenced and also during the process of the work:—

(a) All roads and open areas adjacent to the work site shall either be closed or suitably protected

(b) No electric cable or apparatus which is liable to be a source of danger over a cable or apparatus used by the operator shall remain electrically charged.

(c) All practical steps shall be taken to prevent danger to persons employed from risk of fire or explosion or flooding. No floor, roof, or other part of the building shall be so overloaded with debris or materials as to render it unsafe.

(viii) All necessary personal safety equipment as considered adequate by the Engineer-in-Charge should be kept available for the use of the persons employed on the site and maintained in a condition suitable for immediate use and the contractor should take adequate steps to ensure

अपुस्त हो, तथा ठेकेदार संबंधित व्यक्तियों द्वारा उनके समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा।

- (क) ऐसकाल्टी सामग्री, सीमेंट और घुने का मसाला मिलाने के लिए नियोजित कर्मचारों को बचाव जूते और बचाव-चश्मे दिए जाएंगे।
- (ख) सफेदी करने और सीमेंट के बोरो के या ऐसी सामग्री के, जो आँखों के लिए हानिकारक हो, धुँधें लगाने या उनको मिलाने के काम नियोजित व्यक्तियों को बचाव-चश्मे दिए जाएंगे।
- (ग) झलाई कार्य में नियोजित व्यक्तियों को झलाईगरो की आँखों की रोकथाम के बचाव के लिए काम में आने वाले चश्मे दिए जाएंगे।
- (घ) फलर तोड़ने वालों के लिए बचाव-चश्मों, बचाव-वस्त्रों और पर्याप्त रूप से सुरक्षित दूरी पर बैठने की व्यवस्था होगी।
- (च) जब कर्मकार सीवरों और मैन-होलों में नियोजित किए जाएं जो काम में लाए जा रहे हों, तब ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि मैन-होलों के कर्मचारों के प्रवेश करने के कम से कम एक घंटे पूर्व उनके डक्कन खोल दिए जाएं और उन्हें संवत्सित कर दिया जाए तथा ऐसे खोले गए मैन-होलों को, जनता को खतरों से बचाने के लिए पर्याप्त जालों से घेरे दिया जाना चाहिए और उन पर चेतावनी सिगनल या बोर्ड लगा दिए जाने चाहिए।
- (छ) ठेकेदार 18 वर्ष से कम आयु वाले पुरुषों और स्त्रियों को ऐसे उत्पादों द्वारा रंगने के कार्य पर, जिनमें किसी भी रूप में सीसा अंतर्भूत हो, नियोजित नहीं करेगा। जहाँ कहीं 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्ति सीसा के रंग द्वारा रंगने के कार्य पर नियोजित किए जाएं वह निम्नलिखित पूर्वनिर्धारित रक्षी जाएंगे :-
- (1) सीसा या सीसा उत्पादों को अंतर्भूत करने वाला कोई भी पेंट जब तक कि फेस्ट या हैपार पेंट के रूप में न हो, उपयोग में नहीं लाया जाएगा।
- (2) जब फेस्ट फुलर द्वारा या ऐसी ब्रश पर किया जाना हो जिस पर से सीसे का पेंट झुक सकता या खुरचा गया हो, कर्मचारों के उपयोग के लिए पर्याप्त मुखस्थ का प्रदाय किया जाना चाहिए।
- (3) ऊपर पहने जाने वाले बल्ब ठेकेदार द्वारा कर्मचारों को प्रदत्त किए जाएंगे और कार्य करने वाले पेंटों के लिए ऐसी पर्याप्त सुविधाओं का उपबन्ध होना चाहिए कि वे उन बल्बों को कार्य बंद रहने के समय धो सकें।

(ix) जबकि काम किसी ऐसे स्थान के पास किया जाना हो जहाँ डूबने का जोखिम हो तो सभी आवश्यक उपकरणों का उपबन्ध होना चाहिए और वे उपयोग के लिए तैयार रहने चाहिए और कार्य के अन्त्य में उड़ाई जा सकने वाली संभाव्य सभी क्षतियों के तत्पर प्राथमिक उपचार के लिए पर्याप्त उपबन्ध किया जाना चाहिए।

(x) होइस्टिंग मशीन और टैकलका, जिसके अंतर्गत उनकी संलग्नक जकड़ और अंवलन आते हैं, उपयोग निम्नलिखित मानक या शर्तों के अनुरूप होगा :-

- (1) (क) यह अच्छी यांत्रिक सज्जित को, सुसामग्रीयुक्त और पर्याप्त दृढ़ता वाली और प्रत्यक्ष त्रुटियों से मुक्त होगी और चालू हालत में रखी जाएगी।
- (ख) हर रस्ती, जिसको सामग्रियों को ऊपर उठाने या नीचे लाने/या निलंबन के रूप में उपयोग में लाया जाए, मजबूत क्वालिटी और पर्याप्त दृढ़ता की तथा प्रत्यक्ष त्रुटियों से मुक्त होगी।
- (2) हर क्रेन चालक या होइस्टिंग साधन ऑपरेटर समुचित रूप से अर्हित होगा और 21 वर्ष से कम आयु वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी होइस्टिंग मशीन का, जिसके अंतर्गत पाइ विच आता है, भारसाधक न होगा या ऑपरेटर को सिगनल न देगा।
- (3) हर होइस्टिंग मशीन और चेन रिंग हूक में ऊपर उठाने या नीचे लाने के लिए या निलंबन के साधन-स्वरूप उपयुक्त शैकल स्विबल और पुली ब्लॉक का सुरक्षित कार्यकरण बोझ पर्याप्त सामग्री द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। ऊपर निर्दिष्ट होइस्टिंग मशीन पर और सभी नियंत्रण पर सुरक्षित कार्यकरण बोझ साफ-साफ चिह्नित होगा। ऐसा होइस्टिंग मशीन की दृष्टा में, जिसका सुरक्षित कार्यकरण बोझ परिकल्पित हो, हर एक सुरक्षित कार्यकरण बोझ, उन शर्तों सहित जिनके अन्तर्गत वह लागू होता हो, स्पष्ट

proper use of equipment by those concerned.

(a) Workers employed on mixing asphaltic materials, cement and lime mortars shall be provided with protective footwear and protective goggles.

(b) Those engaged in white-washing and mixing or stacking of cement bags or any materials which is injurious to the eyes shall be provided with protective goggles.

(c) Those engaged in welding works shall be provided with Welders protective eye-shields.

(d) Stone breakers shall be provided with protective goggles and protective clothing and seated at sufficient safe intervals.

(e) When workers are employed in Sewers and manholes, which are in use, the contractor shall ensure that the manhole cover is opened and are ventilated at least for an hour before the workers are allowed to get into the manholes, and the manholes so opened shall be cordoned off with suitable railing and provided with warning signals or boards to prevent accident to the public.

(f) The contractor shall not employ men below the age of 18 and women on the work of painting with products containing lead in any form. Whenever men above the age of 18 are employed on the work of lead painting the following precautions should be taken:—

1. No paint containing lead or lead products shall be used except in the form of paste or ready-made paint.
2. Suitable face masks should be supplied for use by the workers when paint is applied in the form of spray or surface having lead paint dry rubbed and scrapped.
3. Overall shall be supplied by the contractors to the workmen and adequate facilities shall be provided to enable the working painters to wash during recess and Resatation of work.

(ix) When the work is done near any place where risk of drowning all necessary equipments should be provided and kept ready for use and all necessary steps taken for prompt rescue of any persons in danger and adequate provision should be made for prompt first-aid treatment of all injuries likely to be sustained during the course of the work.

(x) Use of hoisting machines and tackle including their attachments, anchorage and supports shall conform to the following standard or conditions:—

- 1 (a) These shall be of good mechanical construction, sound material and adequate strength and free from patent defect and shall be kept in good repair and in good working order
- (b) Every rode used in hoisting or lowering materials or as a means or suspension shall be of durable quality adequate strength and free from patent defects
- 2 Every crane driver or hoisting appliance operator shall be properly qualified and no person under an age of 21 years should be in-charge of any hoisting machine including any scaffold window or give signals to the operator
- 3 In case of every hoisting machine and of every chain ring hook, shackle swivel and pulley block used in hoisting or lowering or as means of suspension, the safe working load shall be ascertained by adequate means. Every hoisting machine and all gear referred to above shall be plainly marked with the safe working load, in case of a hoisting machine having a variable safe working load, each safe working load

रूप से उपदर्शित होगा। इस पैरा में ऊपर निर्दिष्ट मशीन या किसी गियर के किसी भी भाग को सुरक्षित कार्यकरण बोझ से अधिक, परीक्षण के प्रयोजन पर के सिवाय, भारित नहीं किया जाएगा।

- (११) विभागीय मशीनों की दशा में सुरक्षित कार्यकरण बोझ को भारसाधक विद्युत इंजीनियर द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। जहां तक ठेकेदारों की मशीनों का संबंध है ठेकेदार, जब कभी वह कार्यस्थल पर कोई मशीनरी लाए, मशीन का सुरक्षित कार्यकरण बोझ भारसाधक इंजीनियर को अधिसूचित करेगा और संबंधित विद्युत इंजीनियर से उसका स्थापन करवाएगा।

(x) होइस्टिंग साधनों के मोटर, गियरिंग पारेषण, विद्युत वायरिंग और अन्य खतरनाक भागों को निरापद रखने के लिए दृढ़ उपबंध करना चाहिए। होइस्टिंग साधनों में ऐसे साधनों का उपबंध होना चाहिए जिससे लदान के अकस्मात् नीचे आ जाने की दशा में जोखिम न्यूनतम हो जाए। निम्नलिखित लदान के किसी भी भाग के अकस्मात् बिलम्बित हो जाने की दशा में जोखिम को न्यूनतम करने के लिए स्थायी-व पूर्वावधानियां बरती जाएं जबकि कर्मकार ऐसे विद्युत संस्थापन पर नियोजित हो जो फटने से ही ऊर्जित हों, तो उनके लिए आवश्यकतानुसार विंडबाही बन्धन, फटने वाले बन्धन अर्थात् मोड़े, बहि और बूटो का उपबंध होना चाहिए। कर्मकारों को अंगुठियां और घड़ियां धारण नहीं करनी चाहिए और चाकियां या अन्य ऐसी सामग्री नहीं ले जानी चाहिए जो विद्युत की सुग्राहक हो।

(xii) सभी पाद, सीढ़ियां और अन्य सुरक्षा सुविधियों को, जिनको इसमें उल्लिखित या वर्णित किया गया है, सुरक्षित अवस्था में रखा जाना चाहिए और किसी भी पाद, सीढ़ी या उपकरण को, जबकि वह उपयोग में हो, परिवर्तित न किया जाए या हटाया न जाए। कार्यस्थलों पर या उनके निकट बराबरेय फुलाई सुविधाओं का उपबंध करना चाहिए।

(xiii) सुरक्षा उपबंधों को सभी संबंधितों की सूचना के लिए कार्यस्थल के किसी प्रमुख स्थान पर लगे सूचना-पत्र पर प्रदर्शित करवा चाहिए। सुरक्षा संहिता के अनुमूलन के लिए ठेकेदार द्वारा उत्तरदायी व्यक्ति का नाम उसमें दिया जाएगा।

(xiv) सुरक्षा पूर्वावधानियों से संबंधित नियमों और विनियमों के प्रभावकारी प्रवर्तन का सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए संस्थान विभाग के सभ्य अधिकारी, भारसाधक इंजीनियर या उनके प्रतिनिधियों के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

(xv) उक्त क्लॉज (i) से लेकर (xiv) तक के होते हुए भी उनमें की कोई बात ठेकेदार को भारत गणराज्य में प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम या नियम के प्रवर्तन से कूट नहीं देती।

6A. ठेकेदार हर मास की चौथी और उन्नीसवीं तारीख तक भारसाधक इंजीनियर को कमरः पूर्वार्ध मास के उत्तरार्ध और चार मास के पूर्वार्ध की वास्तव निम्नलिखित हस्ति हूए एक सही विवरण देगा -

(1) उसके द्वारा काम पर नियोजित श्रमिकों की संख्या, (2) उनके कामके घंटे (3) उनको संदत्त मजदूरी, (4) उक्त पखवाड़े के दौरान हुई दुर्घटनाएँ जिनमें उन परिस्थितियों को जिनमें अघिन वे घटित हुई और उनके द्वारा कारित नुकसान और हस्ति की सीमा को दर्शित किया जाएगा। ऐसा न करने पर ठेकेदार सरकार को प्रत्येक व्यतिक्रम या तात्त्विक लू से असाध्य विवरण के लिए 50 रु से अधिक राशि के संदाय का दायी होगा। कार्यपालक इंजीनियर का, ठेकेदार को शोध किसी बिल में से जुमान के रूप से उद्घाटित राकम की घटौती करने की बाबत, निविस्मय अंतिम होगा।

6B. इस कारार में ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले काम को करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में, ठेकेदार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और उसके ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य संरक्षण और सफाई संबंधी इंतजामों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा विरचित सभी नियमों का पालन करेगा या कराएगा।

6C. ठेकेदार द्वारा नियोजित स्त्री कर्मकारों के लिए प्रसूति-प्रसूविषय नियम - छुट्टी के दौरान छुट्टी और केतन निम्न प्रकार से विनियमित किए जाएंगे -

छुट्टी-1) प्रसव की दशा में - 8 सप्ताह के अनधिक की प्रसूति छुट्टी; इसमें 4 सप्ताह की छुट्टी प्रसव होने तक, जिसके अंतर्गत प्रसव-दिन भी है, और 4 सप्ताह की छुट्टी उस दिन के पश्चात होगी।

of the conditions under which it is applicable shall be clearly indicated. No part of any machine or of any gear referred to above in this paragraph shall be loaded beyond the safe working load except for the purpose of testing.

- 4 In case of departmental machines, the safe working load shall be notified by the Electrical Engineer-in-Charge. As regards contractors, machines the contractor shall notify the working load of the machine to the Engineer-in-charge whenever he brings any machinery to site of work and get it verified by the Electrical Engineer concerned.

(xi) Motors, Gearing transmission, Electric wiring and other dangerous parts of hoisting appliances should be provided with efficient safeguards hoisting appliances should be provided with such means as will reduce to the minimum the risk of accidental descent of the load, adequate precautions should be taken to reduce to the minimum the risk of any part of a suspended load becoming accidentally displaced. When workers employed on electrical installations which are already energised, insulating mats, wearing apparel, such as gloves, sleeves and boots as may be necessary should be provided. The workers should not wear any rings, watches and carry keys or other material, which are good conductors of electricity.

(xii) All scaffolds, ladders and other safety devices mentioned or described herein shall be maintained in safe conditions and no scaffold, ladder or equipment shall be altered or removed while it is in use. Adequate washing facilities shall be provided at or near places of work.

(xiii) These safety provisions should be brought to the notice of all concerned by display on a Notice Board at a prominent place at the workspot. The persons responsible for compliance of the safety code shall be named therein by the contractor.

(xiv) To ensure effective enforcement of the rules and regulations relating to safety precautions, the arrangements made by the contractor shall be open to inspection by the Labour Officer, Engineer-in-Charge of the department or their representatives.

(xv) Notwithstanding the above clauses from (i) to (xiv) there is nothing in these to exempt the contractor from the operations of any other Act or rule in force in the Republic of India.

6B. The contractor shall submit by the 4th and 19th of every month, to the Engineer-in-Charge a true statement showing in respect of the second half of the preceding month and the first half of the current month, respectively, (1) the number of labourers employed by him on the work, (2) their working hours, (3) the wages paid to them and (4) the accidents that occur during the said fortnight showing the circumstances under which they happened and the extent of damages and injury caused by them falling which the contractor shall be liable to pay to Government a sum not exceeding Rs. 50 for each default or materially incorrect statement. The decision of the Executive Engineer shall be final in deducting from any bill due to the contractor the amount levied as fine.

6C. In respect of all labour directly or indirectly employed in the works for the performance to the contractors part of this agreement, the contractor shall comply with or cause to be complied with all the rules framed by Government from time to time for the protection of health and sanitary arrangements for workers employed by the Central Public Works Department and its contractors.

6D. Maternity Benefit Rules for female workers employed by contractor—Leave and pay during leave shall be regulated as follows:—

- 1 Leave (i) in case of delivery:—Maternity leave not exceeding 8 weeks. 4 weeks up to and including the day of delivery and 4 weeks following that day.

(2) गर्भावत की दशा में - गर्भावत की तारीख से 3 सप्ताह तक।

2. **केतन-(1) प्रसव की दशा में - प्रसूति छुट्टी के दौरान छुट्टी-केतन की दर उस तारीख से, जिसको उस स्त्री ने इस बात की सूचना दी हो कि वह प्रसवावस्था में होने की आशा करती है, ठीक पूर्व 3 मास की कालावधि के दौरान के ऐसे दिनों के लिए, जिनको उसने पूर्णकालिक कार्य किया हो, कुल उपार्जित मजदूरी पर संगठित औसत दैनिक उपार्जन की दर से या एक रुपए प्रति दिन की दर से, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी।**

(2) गर्भावत की दशा में- छुट्टी-केतन की दर ऐसी गर्भावत की तारीख से ठीक पूर्व 3 मास की कालावधि के दौरान के ऐसे दिनों के लिए, जिनको उसने पूर्णकालिक कार्य किया हो, कुल उपार्जित मजदूरी पर संगठित औसत दैनिक उपार्जन की दर से होगी।

प्रसूति-छुट्टी की मंजूरी के लिए कर्त- कोई प्रसूति छुट्टी प्रसूति किसी स्त्री को तब तक अनुज्ञेय न होगी जब तक कि वह उस तारीख से, जिसको वह छुट्टी पर जा रही हो, ठीक पूर्व छह मास से अनूयन की कुल कालावधि के लिए नियोजित न रह चुकी हो।

6D. यदि ठेकेदार कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य-रक्षण एवं सफाई व्यवस्था संबंधी समय-समय पर पर्याप्तगोष्ठित केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के ठेकेदारों के श्रमिक विनियमों और आदर्श नियमों के उपबंधों में से किसी का व्यक्तिगत या भंग करेगा या उपर्युक्त विनियमों या नियमों के उपबंधों के अधीन कोई ऐसी जानकारी देगा या ऐसा कोई विवरण देगा या फाइल करेगा जो तात्त्विक रूप से असुद्ध हो तो वह/वे किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हर व्यक्तिगत, भंग के लिए या तात्त्विक रूप से ऐसे अशुद्ध विवरणों के देने, बनाने, प्रस्तुत करने, करने के लिए साकार को 50 रुपए से अधिक की राशि संदत्त करेगा और इस बाबत ठेकेदार द्वारा लगातार व्यक्तिगत करने की दशा में क्षति को बढ़ाकर व्यक्तिगत के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए किया जा सकेगा किन्तु उसको अधिकतम राशि निविदत्त कार्य की प्राक्कलित लागत की 5 प्रतिशत होगी। भारसाधक इंजीनियर का विनियम अंतिम और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

6D. ठेकेदार अपने श्रमिकों के लिए अपने खर्च पर, भूमि के यथोचित प्लॉट पर, जिसे भारसाधक इंजीनियर अनुमोदित करेगा, पर्याप्त संख्या में निम्नलिखित विनिर्देशों वाली झोपड़ियों की (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कैम्प कहा गया है) व्यवस्था करेगा/करेंगी।

1. (क) प्रत्येक झोपड़ी की ओलती तल पर ऊंचाई 2.10 मीटर (7 फुट) होगी और फर्श का क्षेत्रफल श्रमिक के साथ रहने वाले उसके कुटुंब के प्रत्येक सदस्य के लिए 2.7 वर्ग मीटर (30 वर्ग फुट) के हिसाब से होगा।

(ख) इसके अतिरिक्त ठेकेदार प्रत्येक कुटुंब के लिए झोपड़ी के बगल में उपयुक्त रासोईघर बनाएगा जिसका क्षेत्रफल कम से कम 1.8 मीटर x 1.5 मीटर (6 फुट x 5 फुट) होगा।

(ग) ठेकेदार श्रमिकों के उपयोग के लिए अस्थायी शौचालयों और मूत्रालयों का भी निर्माण कराएगा/कराएगी जो उनकी कुल संख्या के प्रत्येक हों के लिए चार से कम न हों। स्त्रियों के लिए अलग शौचालय और मूत्रालय होंगे।

(घ) ठेकेदार पर्याप्त संख्या में स्नानगृहों और धुलाई के स्थानों का निर्माण कराएगा/कराएगी जो कैम्प में निवास करने वाले प्रत्येक 25 व्यक्तियों के लिए एक के हिसाब से हों। इन स्नानगृहों और धुलाई स्थानों पर यथोचित ढाड़ होगी।

(क) सभी झोपड़ियों की दीवारें कच्ची या पक्की ईंटों की होंगी जो गारे या अन्य ऐसी यथोचित सामग्री से, जो भारसाधक इंजीनियर द्वारा अनुमोदित की जाए, जोड़ी जाएगी। कच्ची ईंटों की दशा में दीवारों की दोनों ओर मिट्टी-गोबरी का परलुप्त किया जाएगा। फर्श कच्चा हो सकता है किन्तु उस पर मिट्टी-गोबरी का परलुप्त होगा और वह आस-पास की भूमि से कम से कम 15 सेमी (6 इंच) ऊंचा होगा। छत फूस से या किसी अन्य ऐसी सामग्री से बनाई जाएगी जो भारसाधक इंजीनियर द्वारा अनुमोदित की जाए और ठेकेदार या सुनिश्चित करेगा कि जब तक उनमें लीक रहे, छतों से पानी न टपके।

(iii) In case of miscarriage:— Up to 3 weeks from the date of miscarriage.

2. Pay (i) In case of delivery—Leave pay during maternity leave will be at the rate of the women's average daily earnings calculated on the total wages earned on the days when full time work was done during a period of three months immediately preceding the date on which she gives notice that she expects to be confined or at the rate of one rupee per day whichever is greater.

(ii) In case of miscarriage—Leave pay at the rate of average daily earnings calculated on the total wages earned on the days when full time work was done during a period of 3 months immediately preceding the date of such miscarriage.

3. **CONDITIONS FOR THE GRANT OF MATERNITY LEAVE—** No maternity leave benefit shall be admissible to a woman unless she has been employed for a total period not less than 6 months immediately preceding the date on which she proceeds on leave.

6E. In the event of the contractor (s) committing a default or breach of any of the provisions of the Central Public Works Department of contractor's Labour Regulations and Model Rules for the Protection of health and sanitary arrangements for the workers as amended from time to time or furnishing any information or submitting or filling any statement under the provisions of the above Regulations and Rules which is materially incorrect, he they shall without prejudice to any other liability, pay to the Government a sum not exceeding Rs. 50 for every default, breach, or furnishing, making, submitting, filling such materially incorrect statements and in the even of the contractor (s) defaulting continuously in this respect the penalty may be enhanced to Rs. 50 per day for each day of default subject to a maximum of 5 per cent of the estimated cost of the work put to tender. The decision of the Engineering-in-Charge shall be final and binding on the parties.

6F. The contractor (s) shall at his/their own cost provide his/their labour with a sufficient number of huts (hereinafter referred to as the Camp) of the following specifications on a suitable plot of land to be approved by the Engineer-in-Charge.

1. (a) The minimum height of each hut at the even level shall be 2.1 m. (7) and the floor area to be provided will be at the rate of 2.7 sq. in. (30 sq. ft.) for each member of the worker's family staying with the labourers.

(b) The contractor (s) shall in addition construct suitable cooking places having a minimum area of 1.8m.x1.5m. (6'x5') adjacent to the hut for each family

(c) The contractor (s) shall also construct temporary latrines and urinals for the use of the labourers each on the scale of not less than four per each the hundred of the total strength, separate latrines and urinals being provided for women.

(d) The contractor (s) shall construct sufficient number of bathing and washing places; one unit for every 25 persons residing in the camp. These bathing and washing places shall be suitably screened.

2. (a) All the huts shall have walls of sun-dried or burnt bricks laid in mud mortar or other suitable local materials as may be approved by the Engineer-in-Charge. In case of sun-dried bricks, the walls should be plastered with mud gobar on both sides. The floors may be katcha but plaster with mud gobar and shall be at least 15cm. (6") above the surrounding ground. The roofs shall be laid with thatched or any other materials as may be approved by the Engineer-in-Charge and the contractor shall ensure that throughout the period of their occupation the roofs remain water-tight

- (ख) ठेकेदार प्रत्येक झोपड़ी में उचित संवातन की व्यवस्था करेगा/करेंगे।
- (घ) सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए सभी द्वारों, खिड़कियों, रोजनदानों में उपयुक्त किवाड़ लगे होंगे।
- (ग) झोपड़ियों की कतारों के बीच कम से कम 7.2 मीटर (8 फीट) की खुली जगह रखी जाएगी जो स्थान की उपलब्धता के अनुसार भारसाधक इंजीनियर के अनुमोदन से घटाकर 6 मीटर (20 फीट) की जा सकती है। इस प्रकार से निर्माण की इजाजत होगी कि झोपड़ियों के पिछवाड़े आपस में छूटें हों।

3. **जल प्रदाय**—ठेकेदार श्रमिकों के उपयोग के लिए पर्याप्त जल प्रदाय की व्यवस्था करेगा/करेंगे। पीने के प्रयोजनों के लिए प्रति दिन प्रति व्यक्ति कम से कम 2 गैलन शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद जल तथा स्नान तथा कुआई के प्रयोजनों के लिए प्रति दिन प्रति व्यक्ति कम से कम 3 गैलन स्वच्छ जल की व्यवस्था होगी। जहाँ नल द्वारा जल प्रदाय उपलब्ध हो वहाँ जल प्रदाय स्टैंड पोस्टों (नल खंभों) पर होगा और जहाँ जल प्रदाय कुओं या नदी से हो वहाँ ऐसी टर्नियों की व्यवस्था होगी जो धतु की बनी हों या चिनाई की हो। ठेकेदार नियमानुसार जल प्रदाय के मुख्य कर्तो हों, जहाँ कहीं वे उपलब्ध हों, अपने खर्च पर अपने श्रमिकों को जल के प्रदाय के लिए पाइप बिछाने की व्यवस्था करेगा/करेंगे और उसके लिए सभी कीलें और प्रचारों का संदाय करेगा/करेंगे।

4. **कैंप के लिए चुन गया स्थान** जंगल से हटकर उंची भूमि पर होगा।

5. **मलमूत्र का निपटारा**—ठेकेदार बीचालयों के मलमूत्र के निपटारे के लिए खाइयाँ खोद कर अपना मलमूत्रकण द्वारा ऐसे आक्मक इंतजाम करेगा/करेंगे जो स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित ओढ़ाओं के अनुसार होंगे। यदि खाइयों का खोदना या मलमूत्रकण अनुज्ञात न हो तो ठेकेदार नगरपालिका समिति/प्राधिकारी की वाफत मल मूत्र को हटवाने का इंतजाम करेगा/करेंगे और उसे नियोजित श्रमिकों की संख्या की वाफत जानकारी देगा/देगी जिससे कि ऐसी समिति/प्राधिकारी द्वारा मल मूत्र के हटवाने का इंतजाम किया जा सके। इस बाबत सभी प्रकार ठेकेदार द्वारा खर्च किए जाएंगे और उसका संदाय उसके द्वारा सीधे नगरपालिका/प्राधिकारी को किया जाएगा। कुछ बीचालयों की दशा में ठेकेदार प्रति आठ कदमों के लिए एक झाड़ुका की व्यवस्था करेगा।

6. **जल निकास**—ठेकेदार यदि शायी की निकासी के लिए बागर इंतजाम करेगा/करेंगे ताकि कैंप सूखा रहे।

7. ठेकेदार दुर्घटनाओं से कर्मचारियों के बचाव के लिए कैंप क्षेत्र में प्रकाश का पर्याप्त इंतजाम करेगा/करेंगे।

8. **सफाई**—ठेकेदार स्थानीय लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्राधिकारियों के नियमों के अनुसार श्रमिक कैंपों में मलमूत्र और सफाई के लिए इंतजाम करेगा/करेंगे।

7. यदि ठेकेदार या उसके कर्मकार या सेवक किसी ऐसे भवन के जिनमें वे काम कर रहे हों, किसी भाग को अपना उस परिसर से जिस पर कोई कार्य या उसका कोई भाग निष्पादित किया जा रहा हो, लगे हुए किसी भवन, सड़क, सड़क के मोड़, बाड़, अहाते, पानी के नल, केबल, नालियों, विद्युत या टेलिफोन के खंभों या तारों, पेड़ों, घास या पास के मैदान या जैसी गई भूमि को तोड़ेगा, विरुद्ध करेगा, नुकसान पहुंचाएगा या नष्ट करेगा तो ठेकेदार उसे अपने खर्च पर ठीक करेगा। उसके इन्कार करने या ठीक न कर पाने पर भारसाधक अधिकारी उसे अन्य कर्मकारों से ठीक करा सकेगा और उसके खर्च की कटौती ऐसी किसी राशि में से जो उस समय या तत्पश्चात किसी समय ठेकेदार को देव हो जाए, करेगा।

8. यदि कार्य की प्रगति के दौरान किसी समय उप मण्डल/मण्डल अधिकारी को प्रगति की दर से, या प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता से, या कार्य की शुरुआत से तत्पश्चात् न हो तो उपमण्डल/मण्डल अधिकारी 24 घण्टे का नोटिस देकर यह कार्रवाई कर सकता है और खराब काम या दोषी सामग्री को हटाकर बदलवा सकता है, इस प्रकार हटाने और बदलने की कीमत किसी ऐसी राशि में से जो ठेकेदार को देव हो जाए, काट सकता है।

9. यदि ठेकेदार इस कार्रवाई में कार्य पूरा होने के लिए निर्धारित समय के अन्दर उम्मीद शिथिल अनुसार कार्य पूरा करने में असफल रहता है तो भारत के राष्ट्रपति इस कार्रवाई के अंतर्गत जो राशि ठेकेदार को शोध निकले या जिस राशि का भुगतान उस समय तक ठेकेदार को न हुआ हो उसमें से प्रतिकर के रूप में कार्य समाप्त के लिए नियोजित दिन और वस्तुविक्रय समारंभ के दिन के बीच बीते हुए प्रत्येक दिन के लिए रु०

- (b) The contractor(s) shall provide each hut proper ventilation.
- (c) All doors, windows, and ventilators shall be provided with suitable leaves for security purposes.
- (d) There shall be kept an open space of at least 7.2m (8yards) between the rows of huts which may be reduced to 6m (20ft.) according to the availability of sites with the approval of the Engineer-in-Charge, back to back construction will be allowed

3. **Water Supply**.—The contractor (s) shall provide adequate supply of water for the use of labourers. The provisions shall not be less than 2 gallons of pure and wholesome water per head per day for drinking purposes and 3 gallons of clean water per head per day for bathing and washing purposes. Where piped water supply is available, supply shall be at stand posts and where the supply is from wells or river tanks which may be of metal or masonry, shall be provided. The contractor(s) shall also at his/their own cost make arrangements for laying pipe lines for water supply to his/their labour camp from the existing mains wherever available, and shall pay all fees and charges therefor.

4. The site selected for the camp shall be high ground, removed from jungle

5. **Disposal of Excreta**—The contractor (s) shall make necessary arrangements for the disposal of excreta from the latrines by trenching or incineration which shall be according to the requirements laid down by the Local Health Authorities. If trenching or incineration is not allowed, the contractor (s) shall make arrangements for the removal of the excreta through the municipal committee authority and inform it about the number of labourers employed so that arrangement may be made of such Committee/authority for the removal of the excreta. All charge on this account shall be borne by the contractor and paid direct by him to the Municipality/authority. The contractor shall provide one sweeper for every 8 seats in case of dry system.

6. **Drainage**.—The contractor (s) shall provide efficient arrangements for draining away sullage water so as to keep the camp neat and tidy.

7. The contractor (s) shall make necessary arrangements for keeping the camp area sufficiently lighted to avoid accidents to the workers.

8. **Sanitation**.—The contractor (s) shall make arrangements for conservancy and sanitation in the labour camps according to the rules of the Local Public Health and Medical Authorities

7. That if the contractor or his servants/labourers break or deface any building, road fence, enclosure, or cause damage to any grass or cultivated land, or water pipes, cables, drains, electric or telephone post or wires, roads, road curbs, trees, he shall restore or make good the same at his own expense, and in the event of this refusing or failing to do so, the damage, so caused, shall be repaired at his expense by the Sub-Divisional Divisional/Officer, who shall deduct the cost thereof from any sums due, or which may become due to the contractor.

8. That if the Sub-Divisional/Divisional Officer shall at any time during the progress of the works be dissatisfied with the rate of progress or the quality of the materials that have been used or of the workmanship, the Sub-Divisional/Divisional Officer may put an end to this agreement on twenty-four hours notice and in the case of bad work-manship or defective materials may remove the same and have it replaced deducting the cost of such removal or replacement from any amount due or that may become due to the contractor.

9. That if the contractor fails to complete as aforesaid the works by the time fixed in this agreement for completion the President of the Board will be entitled to deduct as compensation from the sum found to be payable under his agreement or the balance of the sum then unpaid to the contractor a sum of Rs. for every day that shall elapse between the day fixed for completion and the

की राशि काट लेने के हकदार होंगे। शर्त यह भी है कि इस प्रकार वसूल की जाने वाली राशि इस प्रकार के सार्वजनिक अनुसूची-1 के आधार पर निकाली हुई कार्य की लागत के 10 प्रतिशत से अधिक न होगी।

9.-अ. ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 12 की उपधारा (1) के उपबंधों के आधार पर सरकार ठेकेदार द्वारा कार्यों का निष्पादन करने के लिए नियमित कर्मकार को प्रतिकर का संदाय करने के लिए बाध्य है, सरकार इस प्रकार संदाय प्रतिकर की रकम ठेकेदार से वसूल कर लेगी, और उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार चाहे इस ठेके के अधीन या अन्यथा, प्रतिभूति निशेष में से या सरकार द्वारा ठेकेदार को शोष्य किसी राशि में से कटौती करके ऐसी रकम या उसका कोई भाग वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगी। सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन इसके खिलाफ किए गए किसी दावे का प्रतिवाद करने के लिए तभी बाध्य होगी जब ठेकेदार ने लिखित प्रार्थना की हो और सरकार को उन सभी खर्चों के लिए, जिनके लिए सरकार ऐसे दावे का प्रतिवाद करने के परिणामस्वरूप दायी होगी, पूर्ण प्रतिभूति दे दी हो, अन्यथा नहीं।

10. वहाँ के सिवाय जहाँ कि ठेके में अन्यथा उपबंधित हो, इसमें इसके पूर्व वर्णित विनिर्देशों, डिजाइनों, आरेखों और अनुदेशों के अर्ग से संबंधित और कार्य में प्रयुक्त कार्यकाल या सामग्री की क्वालिटी के संबंध में या किसी अन्य प्रश्न, दावा, अधिकार, बाध या चीज के संबंध में, वह चाहे जो भी हो, जो ठेके, डिजाइनों, आरेखों विनिर्देशों, प्रवक्तव्यों, अनुदेशों, आदेशों या इन शर्तों से किसी प्रकार उद्भूत हुई हो या उससे संबद्ध हो, या अन्यथा कार्यों के संबंध में हो, अथवा उनके निष्पादन या निष्पादन में असफलता से संबद्ध हो सभी प्रश्न और विवाद चाहे वे कार्य की प्रगति के दौरान या उसके पूर्व हो जाने या परित्याग के पश्चात् उद्भूत हुए हों, विवाद के समय कार्य के भारसाधक मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा या यदि कोई मुख्य इंजीनियर न हो तो ऐसी नियुक्ति के समय उक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक प्रधान द्वारा नियुक्त व्यक्ति के एक मात्र माध्यम्य को निर्दिष्ट किए जाएंगे। ऐसी नियुक्ति के विरुद्ध यह आशय नहीं होगा कि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ सरकारी सेवक है, कि उसे उन बातों के संबंध में, जिनसे ठेका संबद्ध है, व्यवहार करना पड़ा था और यह कि सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में उसने विवाद या मतभेद वाले विषयों में से सच्ची या झूठी या अपने विचार व्यक्त किए थे। इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ का निर्णय, अन्तिम निर्णायक और इस ठेके के सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

11. (1) जब कभी किसी राशि या धन के संदाय के लिए ठेकेदार के खिलाफ कोई दावा, ठेके से या उसके अधीन उद्भूत होता है, सरकार ठेकेदार के प्रतिभूतिनिशेष को पूर्ण या भागवत विनियोजित करके और किसी सरकारी वकल्पनों आदि को जो ऐसी संपूर्ण प्रतिभूति या उसके भाग हों, बेचकर ऐसी राशि वसूल करने के लिए हकदार होगी। प्रतिभूति के अमर्त्य होने की दशा में, या यदि ठेकेदार से कोई प्रतिभूति नहीं ली गई हो तो, पर्याप्त वसूलीय अतिशेष या कुल राशि सरकार के साथ इस या किसी अन्य ठेके के अधीन ठेकेदार को उत्तम शोष्य राशि से या ऐसी राशि से जो तत्पश्चात् किसी समय शोष्य हो, काट ली जाएगी। यदि यह रकम वसूलीय पूर्ण रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो तो ठेकेदार मांग किए जाने पर शोष्य अतिशेष सरकार को संदाय करेगा।

(2) सरकार को यह अधिकार होगा कि कार्यों और ठेकेदार की अंतिम बिलों की, जिनके अंतर्गत सभी समर्थक दाउचर, संक्षिप्तियाँ आदि आती हैं, अंतिम बिलों के संदाय के पश्चात् संरीखा और तकनीकी परीक्षा करवाए और यदि ऐसी संरीखा या तकनीकी परीक्षा के परिणामस्वरूप यह पाया जाए कि ठेके के अधीन ठेकेदार द्वारा किए गए किसी कार्य या किसी ऐसे कार्य की बाबत, जिनके संबंध में उसने दावा किया है कि ठेके के अधीन उसके द्वारा कार्य किया गया है; किन्तु जो निष्पादित हुआ नहीं पाया गया है, किसी राशि का अतिरिक्त किया गया है तो, ठेकेदार अतिरिक्त की रकम का प्रतिदाय करने के लिए दायी होगा और सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उससे उसकी वसूली उपखंड (1) में विहित रीति में या वेध रूप से अनुसूचे किसी अन्य रीति में करे; और यदि संरीखा और तकनीकी परीक्षा की फलस्वरूप यह पाया जाए कि ठेके के अधीन ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी कार्य की बाबत/उसे उससे कम संदाय किया गया है जो ठेके के अधीन उसे शोष्य था, तो ऐसे न्यून संदाय की रकम सरकार द्वारा ठेकेदार को सम्यक् रूप से संदाय की जाएगी।

actual completion provided that the compensation so payable shall not exceed ten per cent of the cost of the works completed on the basis of Schedule I annexed to this agreement

9A That in every case in which by virtue of the provisions of Section 12, Sub-Section (1) of the Workmen's Compensation Act 1923, Government is obliged to pay compensation to a workman employed by the contractor, in execution of the works, Government will recover from the contractor the amount of the compensation so paid: and without prejudice to the rights of Government under Section 12, Sub-Section (2) of the said Act, Government shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from the security deposit or from any sum due by Government to the contractor whether under this contract or otherwise.

Government shall not be bound to contest any claim made against under Section 12, Sub-Section (1) of the said Act, except on the written request of the contractor and upon his giving to Government full security for all cost for which Government might become liable in consequence of contesting such claim.

10 Except where otherwise provided in the contract all questions and disputes relating to the meaning of the specifications, designs, drawings and instructions herein-before mentioned and as to quality of workmanship, or materials used on the work or as to any other question, claim, right, matter or thing whatsoever, in any way arising out of, or relating to the contract designs, drawings specifications, estimates, instructions orders or these conditions or otherwise concerning the work, or the execution or failure to execute the same, whether arising during the progress of the work, or after completion or abandonment thereof shall be referred to the sole arbitration of the Chief Engineer, Central Public Works Department, and if the Chief Engineer is unable or unwilling to act, to the role of a arbitration or some other persons appointed by the Chief Engineer, willing to act as such arbitrator. It will be no objection to any such appointment that the arbitrator so appointed is as Govt. servant, that he had to deal with the matters to which this Agreement relates and that in the course of his duties as such/Government servant he had expressed views on all or any of the matters in dispute or difference. The award of the arbitrator so appointed shall be final conclusive and binding on all parties to this contract.

11. (1) Whenever any claim, against the contractor for the payment of a sum or money arises out of or under the contract, Govt. shall be entitled to recover such sum by appropriating in part or whole, the security deposit of the contractor and to sell any Government Promissory note, etc., forming the whole or part of such security. In the event of the security being insufficient or if no security has been taken from the contractor then the balance or the total sum recoverable, as the case maybe shall be deducted from any sum then due or which at any time thereafter may become due from the contractor under this or any other contract with Govt. Should this sum be not sufficient to cover the full amount recoverable, the contractor shall pay to Govt. on demand the balance remaining due.

(2) Govt. shall have the right to cause an audit and technical examination of the works and the final bill of the contractor including all supporting vouchers abstracts etc.. to be made after payment of the final bill and if as a result of such audit and technical examination any sum is found to have been overpaid in respect of any work done by the contractor under the contract any work claimed by him to have been done by him under the contract and found not to have been executed, the contractor shall be liable to refund the amount of the overpayment and it shall be lawful for Govt. to recover the same from him in the manner prescribed in sub-clause (1) of this clause or in any other manner legally permissible and if as a result of audit and technical-examination it is found that the contractor was paid less than what was due to him under the contract in respect of any work executed by him under it, the amount of such underpayment shall be duly paid by Govt. to the contractor

पञ्च सखार प्रसिद्धता किसी राशि को वसूल करने के लिए हकदार न होगी और न डेरेदार न्यून संख्या किसी राशि के संदाय के लिए हकदार होगा यदि ठेके के किसी ऐसे निबंधन के अधीन जो अर्धचक्र इंजीनियर या कार्यपालक इंजीनियर द्वारा निर्धारण के पश्चात् कार्य के लिए संदाय अनुज्ञात करता हो, ऐसे संदाय के संबंध में एक पक्ष की ओर से अर्धचक्र इंजीनियर और दूसरी ओर से ठेकेदार के बीच सहमति हो गई है।

अर्धनिबंधन सखार-

अर्थ-निर्वाचन सङ्घः—

मण्डल अधिकारी से तात्पर्य है संबंधित मण्डल का उस समय का मण्डल अधिकारी उपमण्डल अधिकारी से तात्पर्य है संबंधित उपमण्डल का उस समय का उपमण्डल अधिकारी । एक वचन का बोध कराने वाले शब्दों के अंतर्गत बहुवचन और बहुवचनके के अंतर्गत एकवचन भी है ।

PROVIDED that Government shall not be entitled to recover any sum overpaid, nor the contractor shall be entitled to payment of any sum paid short where such payment has been agreed upon between the Superintending Engineer or Executive Engineer on the one hand and the contractor on the other under any term of the contract permitting payment for work after assessment by the Superintending Engineer or the Executive Engineer.

Interpretation clause :---

The Divisional Officer means the Divisional Officer for the time being of the Division concerned.

The Sub-Divisional Officer means the Sub-Divisional Officer for the time being of the Sub-Division concerned.

Words imparting the singular number only include the plural number and vice versa.

अनुसूची I (ऊपर वर्णित)
SCHEDULE I (referred to above)

लगभग संख्या या मात्रा Approximate number or quantity	विवरण Details	निविदात दर RATE TENDERED		
		अंकों में In figures		शब्दों में In words
		₹ Rs.	₹ P.	
	AS per schedule attached herewith			

ठेकेदार के हस्ताक्षर

Signature of Contractor

तारीख

Date _____

निम्नलिखित की उपस्थिति में हुए :-

In Presence of

सादी

Witness

राष्ट्रपति की ओर से ने हस्ताक्षर किए

Signed by On behalf of the President of India

प्र रूप

हिये अपनी स्व.

धिकारी द्वारा हिसा

प्रस्तुत किए गए बिल ५.

गई रसोद सदाय के लिए पूर्ण

भव ही, सम्यक्तः रसिदयुक्त और उन्मत्तः

लिए ।

Available from TANEJA SALES CORPN

31, More Sarai Road, Delhi.6 Ph 234130

EXECUTIVE ENGINEER

SWD-5. D,D A.

SWD-5. D/5
Sarita Vihar. N. Delhi-44

अनुसूची-11 जिसमें उस सामग्री की लगभग मात्रा जो ठेके के अनुसार किए जाने वाले कार्य के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के भण्डार से दी जाएगी : तथा दो जिन पर उनके लिए बसूली होगी, दिखाई गई है।

SCHEDULE—II Showing (approximately) materials to be Supplied from the Central Public Works Stores for works contracted to be executed and the rates at which they are to be charged for.

विवरण Details	दो जिन पर सामग्री के लिए ठेकेदार से बसूली होगी Rate at which the material charged to be Contractor			सामग्री देने का स्थान Place of delivery
	इकाई Unit	रु० Rs.	पै० P.	

SCHEDULE OF QUANTITY


Name of work:- Up-gradation of various urband villages under CC-15/SEZ/DDA
SH:- Total station survey of village Tughlakabad.
Estimated Cost: Rs.1,62,000/-


Time allowed: 10 (Ten) Days.

S.No.	Description of item	Qty.	Unit	Rate	Amount
1.	Conducting physical survey using total station survey showing all important features, structure road Electric /telephone, H.T. line, sewerage, water supply,. Drainage (with inverts levels) trees levels, Water bodies pond (if any) etc. complete as per direction on Engineer-in-charge. a) Demarcation/leveling all in respect of village. b) Controlling of area to be surveyed showing dimensions of outer side diagonal, angles, co-ordinate. c) Calculation of area of scheme and are surveyed. d) Supplying information in two soft copy (floppy) of anocade (release-14) along with six print on desired scale and original tracessing.	81.00 Acre	Per Acre	Rs.1,090/- (Rs. One thousand ninety only)	Rs.88,290/-
Total: (Rs. Eighty eight thousand two hundred ninety only)					<u>Rs.88,290/-</u>

Conditions:-

1. The agency should have his own Total Station Survey Machine.
2. The survey plan should be submitted in the scale of 1:1000 in original and five prints.
3. No T & P will be issued to the agency.
4. Nothing extra shall be paid by the department against the quoted rates.




Executive Engineer
SWD-5/DDA